बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02/2026–27

शिक्षा विभाग मुख्यालय (विकास भवन, नेहरू पथ) के विभागीय कमरों/कक्षों में अधिष्ठापित कुल 96 **Basic Intercom Telephone** के वार्षिक रख–रखाव करने हेतु इच्छुक फर्मों से निम्न शर्तों के अधीन मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग के लेखा प्रशाखा से संपर्क कर अथवा विभाग के वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/educationbihar** पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

01. तकनीकी निविदा :–

निविदादाता को तकनीकी रूप से सफल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे–

(i) निविदादाता फर्म का **Shops and Establishment** के अन्तर्गत निबंधन का प्रमाण पत्र।

(ii) निविदादाता द्वारा विगत पाँच वर्षों में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/संस्थानों में इस प्रकृति का कार्य किया गया हो, तो उसका प्रमाण संलग्न करना होगा।

(iii) निविदादाता के पैन कार्ड की छायाप्रति।

(iv) निविदादाता के जी०एस०टी० निबंधन की प्रति।

(v) निविदादाता के विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न ।

02. वित्तीय निविदा :–

वित्तीय निविदा के रूप में फर्म द्वारा ऊपर वर्णित कुल 96 **Basic Intercom Telephone** के वर्षिक रख–रखाव का समेकित दर सभी कर/भार सहित अंकित किया जाएगा।

03. सामान्य शर्तें :–

(i) निविदा मुहरबंद लिफाफे में निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को संबोधित होनी चाहिए तथा यह शिक्षा विभाग, विकास भवन, नेहरू पथ के लेखा प्रशाखा (कमरा संख्या–42) में हाथों–हाथ दिनांक– 25/05/2026 को अपराह्न 01:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात् कोई निविदा प्राप्त नहीं की जाएगी और न ही उनपर विचार किया जाएगा।

(ii) निविदादाता को निविदा से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर पुनः इन्हें एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर विभाग को प्राप्त कराना होगा। अलग–अलग लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" अंकित करना अनिवार्य होगा।

(iii) निर्धारित समय सीमा में प्राप्त निविदाओं को विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी रूप से सफल पाए गए निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी तथा न्यूनतम दर (L-1) के निविदादाता को नियमानुसार क्रयादेश दिया जाएगा।

(iv) **Basic Intercom Telephone** के वर्षिक रख–रखाव की अवधि एक वर्ष की होगी।

(v) सेवा के संतोषजनक पाए जाने पर पूर्व से निर्धारित दर पर सेवा विस्तार अधिकतम तीन वर्षो तक किया जा सकेगा।

(vi) सेवा में त्रुटि पाये जाने अथवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।

(vii) निविदा के किसी शर्त को संशोधित करने, प्राप्त सभी निविदा या किसी एक निविदा को रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी को होगी।

(viii) विभाग द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 06-05-2026 16:37:04
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक प्रशासन